प्राक्कथन

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2007 के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा नियमावली के अनुसार बनाया गया है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अन्तराल जिसे देश के समग्र विकास हेतु भरने की जरूरत है, के मद्देनज़र "क्षमता संवर्धन कार्यक्रम-एनटीपीसी का परियोजना प्रबंधन" पर एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, दिसम्बर 2010 में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें मुख्य रूप से ताप विद्युत परियोजनाएं शामिल की गई थीं, जिनका देश के विद्युत सृजन में सबसे बड़ा योगदान है। उसके सीक्वेल के रूप में, लेखापरीक्षा ने विद्युत सृजन के एक अन्य महत्वपूर्ण संघटक अर्थात जल विद्युत, जो ऊर्जा का नवीकरणीय, आर्थिक, प्रदूषण-रहित तथा पर्यावरणीय रूप से सुसाध्य स्रोत है, की मार्च-अगस्त 2011 में निष्पादन लेखापरीक्षा की। जल विद्युत का सृजन केन्द्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा निजी क्षेत्र कम्पनियों द्वारा किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों जैसे एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, तथा पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की शुरूआत से कार्यान्वयन तक की प्रक्रियाओं की जांच की गई है। इन सीपीएसईज़ से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान 11,813 मे. वा. जल विद्युत की क्षमता जोड़ी जानी अपेक्षित थी। तथापि, मार्च 2012 तक उसके प्रति वास्तविक प्राप्ति केवल 1,550 मे.वा. थी।

लेखापरीक्षा, इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने में एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, तथा पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड सहित ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।